न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

इजलास :– श्री अभिषेक सुराणा आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)

राजस्व वाद सं. 34/2018

अनवान :–

राजस्व वाद
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत (वादी)

..................वादी

बनाम

1. भूरी देवी पत्नि जगमालराम जाति रेगर निवासी शिवबाडी बीकानेर
2. भंवरी देवी पत्नि भागीरथराम जाति रेगर निवासी शिवबाडी बीकानेर

..........प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाशकगण :–

1. पेरोकारराज वादी राज्य के लिये।
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27.02.2020

27.02.2020 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र भूरी देवी आदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम चक सालिया के ख.न. 167/79 रकबा 1.27 हैक्टर प्रतिवादी भूरी देवी पत्नि जगमालराम जाति रेगर निवासी शिवबाडी जिला बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का चक बन्धा न. 1 एव भू–अभिलेख निरीक्षक बीठनोक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त ख.न. 167/79 में अवैध ईट भटटे स्थापित बिना सक्षम स्वीकृत के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा संलग्न है।
3. यह है कि प्रतिवादीगण के द्वारा स्थापित किये गये अवैध ईट भटटे के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त ख.न. 167/79 के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिकार रिज्युम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।
4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम चक सालिया के ख. न. 167/69 रकबा 0.50 हैक्टर में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईट भटटा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद को स्वीकार किया जावे। उक्त ख. न. 167/79 की कुल तादादी 0.50 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्युम करने के आदेश देते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश के साथ खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 19.04.2018 से पत्रावली जवाब में जेरकार रही। प्रतिवादीगण अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

रहने पर दिनांक 19.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। एकतरफा बहस समायत की गयी।

परिणामस्वरूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम चक सालिया के खसरा नम्बर 167/79 रकबा 0.50 हैक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी सवंत 2070 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादीया को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुरतीब किया जावें। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/2/2020

(अभिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

109
6/3/2020

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(अभिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Scanned by CamScanner